Relation between Liberty and Equality.

स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे के पूरक हैं अथवा विरोधी इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि हम स्वतंत्रता का क्या अर्थ समझते हैं। यदि स्वतंत्रता का यह अर्थ लगाया जाय कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए तो निश्चय ही ये दोनों एक-दूसरे के विरोधी दिखाई देंगे क्योंकि यदि हम मानकर चलें कि स्वतंत्रता ऐसे अवसरों की उपस्थिति है जिसे बिना उच्चतम विकास संभव नहीं है तो स्वतंत्रता और समानता एक-दूसरे के पूरक दिखाई देंगे।

क्या समानता 'स्वतंत्रता' की शत्रु है? (Is Equality Inimical to Liberty?)

लार्ड एक्टन (Lord Acton) व दताकविल (De Toqueville) जैसे विद्वानों ने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी माना है। Lord Acton का कहना है कि "समानता स्थापित करने की धुनी तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को निराशा में बदल दिया है।"

स्वतंत्रता के लिए समानता एक अनिवार्य शर्त है— जो विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी समझते हैं, वे केवल मुट्ठी भर लोगों की स्वतंत्रता को ही ध्यान में रखते हैं। आर० एच० टानी, प्रो० पोलार्ड, बैकाइवर, लास्की तथा आधुनिक युग के अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता का अस्तित्व अपूर्ण है। अपने विचारों के समर्थन में इन विद्वानों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं।

(1) आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है— अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के अधिकांश विचारकों का विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता (मताधिकार एवं विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) से ही सच्चे लोकतन्त्रीय व्यवस्था स्थापित हो सकती है किंतु उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ही लोगों ने यह अनुभव करना शुरू कर दिया था कि आर्थिक समानता के बिना, राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। एक ओर दरिद्रता, मूख, अशिक्षा व बीमारियों

और दूसरी ओर, विलासिता एवं धन का अपव्यय, ये दोनों अवस्थाएँ साथ-साथ नहीं चल सकती। आर्थिक विवशता की स्थिति में राजनीतिक स्वतंत्रता का कुछ भी उपयोग नहीं है।

आधुनिक विचारकों ने आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता की गारंटी माना है। उनका कहना है कि भूखमरी और दरिद्रता का अन्त किये बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, भूखे व्यक्ति के लिए वोट का कोई मूल्य नहीं है। पूँजीवादी व्यवस्था में वास्तविक शक्ति उन लोगों के हाथ में होती है जो जनसाधारण की भूख का अनुचित लाभ उठा सकते हैं और अपने लाभ के लिए उनसे जो चाहे करा सकते हैं।

यह आवश्यक है कि आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो कि सबकी न केवल मूलभूत आवश्यकताएं ही पूरी हो सकें बल्कि उन्हें वे वस्तुएं भी प्राप्त हो सकें जो उन्हें कार्यकुशल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके लिए अवश्य ही कुछ विशेष प्रकार के कानूनों की आवश्यकता होगी। ऐसी कर प्रणाली अपनानी होगी जिससे अमीरों की आय का एक बड़ा भाग 'सरकार-कर' के रूप में वसूल कर सके, ताकि जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो, उनके लिए राज्य की ओर से सहायता की व्यवस्था की जा सके।

(2) सामाजिक स्वतंत्रता का वास्तविक मूल्य तभी है जब आर्थिक क्षेत्र में समता स्थापित की जा सके:—

सामाजिक स्वतंत्रता का लक्ष्य यह है कि जाति, वर्ग, सम्पत्ति अथवा रंग के आधार पर मनुष्यों में भेद-भाव न किया जाय। सामाजिक स्वतंत्रता के लिए शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी समान अवसरों का होना आवश्यक है। कानूनों द्वारा सामाजिक ~~स्वतंत्रता के~~ समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।

दूसरे शब्दों में, आर्थिक समानता लाने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए ताकि समाज का कोई भी वर्ग अशिक्षित और दीन-दुःखी न रहे तो सामाजिक समानता के लक्ष्य की अपने-आप पूर्ति हो जायेगी।

(3) **आर्थिक विषमताओं को कम करके कानूनी समानता को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है** — कानूनी समानता का मतलब यह है कि कानून सबको चाहे वह धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर आरूढ़ हो या निम्न पद पर, समान रूप से रक्षा करेगा तथा समान अपराध करने पर भी सभी समान रूप से दंड के भागी होंगे। यह बात सिद्धान्त रूप से सही है किंतु व्यवहार में निर्धन लोगों को न्याय प्राप्त करने के उतने अवसर नहीं होते जितने अमीरों को होते हैं। वे अपनी पैरवी के लिए न तो कोई अच्छा वकील ही कर पाते हैं और न ही कानून की बारीकियों को समझते हैं। अतएव न्यायिक क्षेत्र में समानता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक विषमताएं कम से कम हों। लास्की ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि "जिस समाज में भारी आर्थिक विषमताएं होती हैं, उसमें वकील और न्यायाधीश उच्च या उच्च-मध्य वर्ग से ही सम्बन्धित होते हैं, वे लोग कानून की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि धनिकों की सम्पत्ति या विशेषाधिकार के गढ़ सुरक्षित रहें।" समानता के बिना कानूनी समानता का कोई विशेष महत्व नहीं है।

निष्कर्ष :- स्वतंत्रता और समानता एक ही आदर्श के दो पहलू हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के सिद्धान्त आपस में इतने गुँथे हुए हैं कि उन्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। असमानता 'स्वतंत्रता' को निरर्थक बना देती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है इनका कोई मौलिक अन्तर्विरोध नहीं है। दोनों ही इस बात पर बल देते हैं कि एकमनुष्य दूसरे मनुष्य का और एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। दोनों एक ही आदर्श के दो पहलू हैं। आर० एच० टॉनी के शब्दों में "समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं, उसकी एक आवश्यक शर्त है।